मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2014-माघ 25, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s ACS ASSOCIATION" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00433/13, Dated 2012-2013 Date of Registration 17/01/2013 undergone the following changes:-

1. That Shri Sanjay kumar Agarwal S/o Late Shri R. K. Agarwal and Shri Rakesh Agarwal S/o Late Shri Bishambher Dayal Agarwal has Joined the Partnership firm w.e.f. 07/08/2013.

For : Chandrakant Shrivastav,
(Partner)
"M/s ACS ASSOCIATION"
H.I.G.-85, Adharshila Campus,
Barkheda Pathani, Bhopal (M.P.).

(580-B.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the seven new partners have been admitted along with seven old partners in the registered firm M/s Dev Prabhakar Associates (Reg. No. 04/14/01/00021/05, Dt. 09-05-05), Jabalpur w.e.f. 01-04-2008 are-1. Shri Shankar Lal, 2. Shri Ramnarayan Nayak, 3. Smt. Pushpa Chouksey, 4. Shri Shrikant Ajmera, 5. Shri Rakesh Katkwar, 6. Smt. Ruchi Malik, 7. Smt. Rajkumari Bai Tiwari.

That the seven partners have been retired from firm w.e.f. 01-04-2009 are-1. Shri Shankar Lal, 2. Shri Ramnarayan Nayak, 3. Smt. Pushpa Chouksey, 4. Shri Shrikant Ajmera, 5. Shri Rakesh Katkwar, 6. Smt. Ruchi Malik, 7. Smt. Rajkumari Bai Tiwari.

That the registered office of the Firm M/s Dev Prabhakar Associates, Jabalpur has been shifted from Ranital Chowk, Opp. Sudama Hardware, Jabalpur to Dadda Nagar, Katangi Byepass, Beside St. Aloysius School, Jabalpur (M.P.).

Ramesh Gupta,
(Partner)
For : M/s Dev Prabhakar Associates.

(571-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-09-2013 से फर्म मेसर्स मोर्डन एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म, ग्वालियर की साझेदारी में परिवर्तन किया गया है कि उक्त दिनांक से श्रीमती आरती सोनी पत्नि श्री दीपेन्द्र सोनी और श्री प्रमोद अग्रवाल पुत्र श्री मानिकचंद अग्रवाल साझेदारी के रूप में शामिल हुए हैं. यह सूचना रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी के नियमानुसार प्रकाशित की जा रही है.

आरती सोनी,
(पार्टनर)
मे. मोर्डन एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर.

(572-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-09-2013 से फर्म मेसर्स श्री तिरूपति एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म, ग्वालियर की साझेदारी में परिवर्तन किया गया है कि उक्त दिनांक से श्रीमती आरती सोनी पत्नि श्री दीपेन्द्र सोनी और श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री हरी किशन अग्रवाल साझेदारी के रूप में शामिल हुए हैं. यह सूचना रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी के नियमानुसार प्रकाशित की जा रही है.

आरती सोनी,
(पार्टनर)
मे. मोर्डन एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर.

(573-बी.)

स्थान परिवर्तन सूचना

मेसर्स यादव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, एम-38, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना (पुराना पता)
एमआईजी 111, 674, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना (नया पता) हो गया है.

हेमसिंह यादव

(574-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. आर. एम. इण्डस्ट्रीज, शनवारा बुरहानपुर की मूल भागीदारी में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं—

1. दिनांक 18-08-1996 को भागीदारी फर्म में निम्न भागीदार थे—1. श्री दिनेश रतिलाल शाह, 2. श्री राजेन्द्र रतिलाल शाह, एच.यु.एफ., 3. श्री केतन दिनेश शाह, एच. यु. एफ., 4. जॉनशन दिनेश शाह.

2. दिनांक 28-09-2002 को नये भागीदार श्रीमती वसुमती राजेन्द्र शाह को भागीदारी फर्म में प्रवेश दिया गया है. इस परिवर्तन के बाद दिनांक 28-09-2002 से फर्म में निम्नलिखित भागीदार रहे हैं—1. श्री दिनेश रतिलाल शाह, 2. श्री राजेन्द्र रतिलाल शाह, एच.यु.एफ., 3. श्री केतन दिनेश शाह, एच. यु. एफ., 4. जॉनशन दिनेश शाह, 5. श्रीमती वसुमती राजेन्द्र शाह.

3. दिनांक 01-10-2002 से उपरोक्त भागीदारी फर्म में से भी श्री दिनेश रतिलाल शाह, श्री केतन दिनेश शाह एवं जॉनशन दिनेश शाह निकल गये हैं. जिसका विभक्त होने वाला भागीदारी पत्रक दिनांक 10-01-2003 को लिखा गया है एवं चालू रहने वाला भागीदारी पत्रक दिनांक 14-01-2003 को लिखा गया है. यह पत्रक दिनांक 01-10-2002 से प्रभावशाली किये गये हैं. इसके पश्चात् निम्न भागीदार फर्म में रह गये हैं—1. श्री राजेन्द्र रतिलाल शाह, एच. यु. एफ., 2. श्रीमती वसुमती राजेन्द्र शाह.

4. दिनांक 28-11-2007 से राजेन्द्र रतिलाल शाह एवं अवयस्क चिंतन राजेन्द्र शाह को भागीदारी में सम्मिलित किया गया है एवं राजेन्द्र रतिलाल शाह, एच. यु. एफ. भागीदारी से निकाले गये हैं. इसके पश्चात् निम्नलिखित भागीदार फर्म में आज दिनांक तक हैं. 1. श्री राजेन्द्र रतिलाल शाह, एच.यु.एफ., 2. श्रीमती वसुमती राजेन्द्र शाह. 3. अवयस्क चिंतन राजेन्द्र शाह.

राजेन्द्र रतिलाल शाह,
(भागीदार)
वास्ते—मे. आर. एम. इण्डस्ट्रीज.

(575-बी.)

सूचना

फर्म मेसर्स सुनील कुमार जैन, 41, टैगोर पार्क कॉलोनी, खरगोन के भागीदार श्री रतनचंद पिता श्री नन्हाईलाल जैन की मृत्यु दिनांक 7 फरवरी, 2009 को हो जाने से उनके स्थान पर मा. पलाश जैन पिता श्री सुनील कुमार जैन, 41, टैगोर पार्क कॉलोनी, खरगोन को बनाया गया है, जो दिनांक 8 फरवरी, 2009 से बंधनकारी है.

अजीत जैन,
(पार्टनर)
मे. सुनील कुमार जैन.

(579-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अपना नाम पूर्व में दानिश खान लिखता था. जिसे मैंने परिवर्तित कर दानिश सिंह रख लिया है. भविष्य में मैं इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(दानिश खान)

नया नाम :
(दानिश सिंह)
आर-66, सांई हिल्स, अमरनाथ कॉलोनी के पास,
कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(576-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि पूर्व में मेरा नाम गोलू जाटव पिता श्री बाबूलाल जाटव था. अब मैंने अपना नाम बदलकर गौरव कुमार जाटव आ. श्री बाबूलाल जाटव कर लिया है. अब मैं गौरव कुमार जाटव के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :
(गोलू जाटव)

नया नाम :
(गौरव कुमार जाटव)
आ. श्री बाबूलाल जाटव,
ग्राम किशनपुर, पोस्ट नागौर,
तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म. प्र.).

(577-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, हेमा जनयानी, मेरा विवाह सुरेश केवलानी से 06 मार्च, 2011 को हुआ, विवाह के पश्चात् मेरा नाम हेमा केवलानी, पत्नी सुरेश केवलानी हो गया है. अत: भविष्य में मेरे समस्त शासकीय व अन्य दस्तावेजों में मुझे हेमा केवलानी नाम से जाना, पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(हेमा जनयानी)

नया नाम :
(हेमा केवलानी)
146, नियर हेल्थ सेंटर,
वन ट्री हिल्स, बैरागढ़, भोपाल (म. प्र.).

(578-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Kutbuddin Changed my name to Qutbuddin Jagirdar and now I would be known as Qutbuddin Jagirdar.

Old Name :
(Kutbuddin)

New Name :
(Qutbuddin Jagirdar)
Add-70, New Saify Nagar,
Manik Bag Road, Indore (M.P.).

(581-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, रविशंकर धूरिया पिता श्री स्व. भवानी प्रसाद धूरिया, उम्र 47 वर्ष, ग्राम सिंहपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.), मेरे पुत्र योगेन्द्र धूरिया को ब्लूम्स एकेडमी विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय त्रुटिवश मेरी पत्नी व उसकी माता का नाम त्रुटिवश नीता के स्थान पर गीता हो गया. अत: इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा सबको सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र योगेन्द्र धूरिया की माता का नाम नीता धूरिया प्रमाणिक माना जाए. भविष्य में उनका सही नाम नीता धूरिया ही पढ़ा, लिखा एवं माना जाए.

रविशंकर धूरिया,
निवासी—ग्राम सिंहपुर, तहसील अजयगढ़,
जिला पन्ना (म. प्र.).

(582-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Sapna Kumari has Changed my name to Sapna Chandwani D/o Bhawan Das. I should be recognised by this name by future.

Old Name :

(Sapna Kumari)

New Name :

(Sapna Chandwani)
B-64, Sant Kanwar Ram Colony,
Berasia Road, Bhopal (M.P.).

(583-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम ओमबहादुर थापा था. अब उसे बदलकर मैंने अपना नाम यमबहादुर थापा कर लिया है. अत: अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे. अत: सरकारी/अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में इसी नाम से लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(ओमबहादुर थापा)

नया नाम :

(यमबहादुर थापा)
आत्मज श्री जयलाल थापा,
निवासी—म. नं. 43, सुख सागर फेस-3,
खजूरी कलां रोड, एस.ओ.एस. स्कूल के पीछे,
पिपलानी, भोपाल (म. प्र.).

(584-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम प्रियंका जैन पिता देवेंद्र कुमार जैन था, जो कि विवाह के पश्चात् प्रियंका पति रॉबिन गुप्ता हो गया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम प्रियंका गुप्ता से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(प्रियंका जैन)

नया नाम :

(प्रियंका गुप्ता)
जी-1, श्री नाथ अपार्टमेंट, 10/3 स्नेहगंज,
इन्दौर (म. प्र.).

(585-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

रा. प्र. क्र. बी-113 वर्ष 2013-14. बालाघाट, दिनांक 05 जनवरी, 2014 मौजा भटेरा, प.ह.नं.-12.

क्र./4244/प्रस्तुत्कार-1/2014.—यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता, अध्यक्ष श्री धनेन्द्र बम्हुरे, सह सदस्यगण "श्री राम मन्दिर समिति भटेरा" ट्रस्ट, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2014 के दिवस पर तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अत: जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प.ह.न.	अचल सम्पत्ति	विवरण
ग्राम भटेरा	12	ख. नं. 227/2, 237/1, 237/1 रकबा 0.053, 2.213, 1.48 हेक्टर	श्री राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष श्री धनेन्द्र बम्हुरे, निवासी-भटेरा, प. ह. नं. 12 (म. प्र.)

आज दिनांक 3 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया.

आर. सी. रांहगडाले,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(13)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि जमना कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., धरमपुरी (पंजी. क्र. 1836, दिनांक 11 सितम्बर, 2001) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जमना कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., धरमपुरी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि शिव शक्ति फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., कुमठा (पंजी. क्र. 2044, दिनांक 27 जुलाई, 2007) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए शिव शक्ति फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., कुमठा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-A)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि संत श्री सांई फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सराय (पंजी. क्र. 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए संत श्री सांई फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सराय को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-B)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि राधा कृष्ण फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेड़ा (पंजी. क्र. 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2007) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए राधा कृष्ण फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेड़ा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-C)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि माँ फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेड़ा विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेड़ा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-D)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि मांधाता फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., केहलारी (पंजी. क्र. 1975, दिनांक 29 सितम्बर, 2006) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए मांधाता फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., केहलारी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-E)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013

से सूचित किया गया है कि जय रामदेव बाबा सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आमोदा विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय रामदेव बाबा सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आमोदा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-F)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि वीरपुर कुंडेश्वर आबना सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., टिटियाजोशी विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए वीरपुर कुंडेश्वर आबना सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., टिटियाजोशी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-G)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांवखूर्द विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांवखूर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-H)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 2014, दिनांक 19 अप्रैल, 2007) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(74-I)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि ओम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौराखूर्द (पंजी. क्र. 1667, दिनांक 19 मई, 1998) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए ओम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौराखूर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(74-J)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कारंजा पं.क्र. 523, दिनांक 29 मार्च, 1995 विकासखण्ड लाँजी, तहसील लाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/246, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, चिचोली पं.क्र. 521, दिनांक 29 मार्च, 1995 विकासखण्ड लाँजी, तहसील लाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/247, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, रिसेवाडा पं.क्र. 522, दिनांक 29 मार्च, 2005 विकासखण्ड लाँजी, तहसील लाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/245, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना

प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

राजीव गाँधी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गर्रा पं.क्र. 296, दिनांक 25 अगस्त, 1993 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/270, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, खारा पं.क्र. 404, दिनांक 22 नवम्बर, 1993 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/291, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बैनगंगा साख सहकारी समिति मर्यादित, सिकन्द्रा पं.क्र. 756, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/267, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. अन्नपूर्णा महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हारी पं.क्र. 646, दिनांक 31 मार्च, 2004 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/268, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

सिद्धार्थ औद्यो. सहकारी समिति मर्यादित, वारासिवनी पं.क्र. 293, दिनांक 12 जुलाई, 1982 विकासखण्ड वारासिवनी , तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/269, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75- G)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पाथरवाड़ा पं.क्र. 735, दिनांक 21 मई, 2010 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/272, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. जन जागृति महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, पाथरवाड़ा पं.क्र. 663, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/265, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ

सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(75-I)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री ओ. पी. पंवार (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरगढ़.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरगढ़, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 26 अगस्त, 2006 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री अशोक जैन (C.I.)

हरे राम कृष्ण ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झकेला.

यहकि हरे राम कृष्ण ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झकेला, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 26 मार्च, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री जी. एल. सोलंकी (A. O.)

श्रीराम ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़ा सेमलिया.

यहकि श्रीराम ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़ा सेमलिया, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 23 फरवरी, 1969 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री एम. एस. चौहान (S.C.I.)

आलअमीन मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., राणापुर.

यहकि आलअमीन मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्या., राणापुर, विकासखण्ड राणापुर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की

जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री बी. एस. भूरिया (S.C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानीयासाथ.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानीयासाथ, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 04 अप्रैल, 1995 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री व्ही. के. रावल (S.A.)

मेघा स्टेशनरी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर.

यहकि मेघा स्टेशनरी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री ओ. पी. पंवार

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 407, दिनांक 04 अगस्त, 1988 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री बी. एस. भूरिया (S.C.I.)

पुलिस हितकारणी सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यहकि पुलिस हितकारणी सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 23 मार्च, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री संजय सोलंकी (C.I.)

बालाजी ईंधन सहकारी संस्था, झाबुआ.

यहकि बालाजी ईंधन सहकारी संस्था, झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 07 जून, 2006 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था

के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री सुभाष कार्णिक (S.C.I.)

लक्ष्मी महिला सिलाई उद्योग, झाबुआ.

यहकि लक्ष्मी महिला सिलाई उद्योग, झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 01 नवम्बर, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री अशोक जैन (C.I.)

आदि. चेतना वस्त्र रंगाई सहकारी संस्था मर्या., गडवाड़ा.

यहकि आदि. चेतना वस्त्र रंगाई सहकारी संस्था मर्या., गडवाड़ा, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 13 फरवरी, 1958 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-J)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री एम. एस. चौहान (S.C.I.)

महावीर प्राथ. उप. भण्डार, राणापुर.

यहकि महावीर प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राणापुर, विकासखण्ड राणापुर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 18 अगस्त, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

आजाद प्राथ. उप. भण्डार, राणापुर.

यहकि आजाद प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राणापुर, विकासखण्ड राणापुर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 16 मई, 2007 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-L)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री एल. एस. ठाकुर (A.O.)

श्री कृष्ण प्राथ. उप. भण्डार, झाबुआ.

यहकि श्री कृष्ण प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 18 अगस्त, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की

जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्रीमति रनिता गणावा (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्लीपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्लीपुरा, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 06 अगस्त, 2008 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री कैलाश मुवेल (S.C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसोडी.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसोडी, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 19 अप्रैल, 2004 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-O)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री कैलाश मुवेल (S.C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखूटा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखूटा, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1004, दिनांक 30 अगस्त, 2006 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री गोविंद गुण्डिया (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबडी.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबडी, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 25 जून, 1988 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-Q)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री गोविंद गुण्डिया (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावली.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावली, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक....., दिनांक.....है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के

अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-R)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री चन्दा परमार (C.I.)

महिमा महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यहकि महिमा महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 04 नवम्बर, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-S)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री एस. सी. शर्मा

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोसरपाड़ा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोसरपाड़ा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-T)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री एस. सी. शर्मा, (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लखपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लखपुरा, विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 809, दिनांक 27 जुलाई, 1993 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-U)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री अमित सिंह (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 29 मार्च, 1997 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-V)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री ओ. पी. पंवार (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चैनपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चैनपुरा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 837, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था

के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-W)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री अमित सिंह (C.I.)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंचपिपल्या.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंचपिपल्या, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 710, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-X)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्रीमति रनिता गणावा,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्पान.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्पान, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 20 मार्च, 1997 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

(76-Y)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी,

श्री सुभाष कार्णिक (S.C.I.)

माँ दुर्गा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रातीतलाई.

यहकि माँ दुर्गा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रातीतलाई, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्यों कि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. आडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जुलाई, 2013 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,

(76-Z) उप आयुक्त (सहकारिता) एवं उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	183/06-04-1996	3082/24-10-2007
2.	शिव शक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	184/19-05-1996	3082/24-10-2007
3.	लवकुश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	189/17-06-1976	2611/11-09-2007
4.	विश्वास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	210/21-01-1978	287/22-07-1998
5.	पदमश्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	561/27-04-2004	3082/24-10-2007
6.	कंचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	646/27-11-1996	46/04-01-2005
7.	किरण को-आपरेटिव सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	894/30-04-2007	1801/26-07-2007
8.	टीचर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	101/31-01-1957	2778/25-09-2007
9.	ग्रेटर वावा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	701/09-10-1997	856/05-01-2008
10.	वास्तु ट्रान्सपोर्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	671/15-05-1997	144/07-01-2005
11.	ई. जी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	427/21-11-1986	3082/24-10-2007

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एम. एम. श्रीवास्तव,
उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	एज्युकेशलिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	428/24-11-1986	3425/08-08-2012
2.	भारत सेवक समाज गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	304/23-05-1981	3425/08-08-2012
3.	टी. वी. स्वा. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	426/20-10-1986	3425/08-08-2012
4.	श्री देवी अपार्टमेन्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	415/18-06-1985	3425/08-08-2012
5.	आनन्द विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	422/28-08-1986	3425/08-08-2012
6.	प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	423/22-08-1986	3425/08-08-2012
7.	कमला गृह निर्माण सहकारी संस्था, रसलपुरा महू	412/13-06-1985	3425/08-08-2012
8.	श्री चेतन्य गृह निर्माण सहकारी संस्था, राऊ	417/08-07-1985	3425/08-08-2012

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एस. एन. खण्डेलवाल,
परिसमापक.

(78)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	-	4317/27-08-1997

1	2	3	4
2.	सर्वोदय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर	–	2618/17-04-1996
3.	आशामति सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., रिगवान	–	4317/27-08-1997
4.	गांधी शिल्पकार सहकारी संस्था मर्या.,	–	737/29-06-1966
5.	अचलेश्वर व्यवसायी उद्योग सहकारी संस्था, देपालपुर	–	10867/12-12-1969
6.	शासकीय कर्मचारी केन्टीन सहकारी संस्था,	–	10433/29-12-1961
7.	आदर्श कुम्भकार सहकारी संस्था, एनाडी इन्दौर	–	4894/21-09-1993
8.	अरूणोदय श्रमिक कामगार सहकारी संस्था	–	452/24-01-2003
9.	जय माँ दुर्गे सहकारी संस्था मर्या., महू (इन्दौर)	–	835/13-02-2003
10.	गणेश श्रमिक सहकारी संस्था, वडोदिया खान (सांवेर)	–	840/13-02-2003

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(79)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श नागरिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	–	4906/16-09-2010
2.	शासकीय कर्म. सहकारी साख संस्था, इन्दौर	–	4906/16-09-2010

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जगदीश जलोदिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(79-A)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मध्यप्रदेश पुलिस दूर संचार गृह निर्माण, इन्दौर	711/	3425/08-08-2012
2.	समग्र गृह निर्माण, इन्दौर	774/05-06-1999	3425/08-08-2012
3.	निर्मला को. ऑप. गृह निर्माण, इन्दौर	-	3425/08-08-2012
4.	श्री आदर्श प्रियदर्शनी गृह निर्माण, इन्दौर	-	3425/08-08-2012
5.	पिछड़ा वर्ग गृह निर्माण, इन्दौर	-	3425/08-08-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

विवेक व्यास,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(80)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बावल्याखुर्द	DR/IDR/125/26-03-1959	634/09-12-1994	27/13-1-2011
2.	कृषि विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	DR/IDR/656/17-12-1997		27/13-1-2011

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

के. एम. स्वर्णकार,
सहकारी निरीक्षक.

(81)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	कृषि नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	62/08-05-1964	4862/15-09-2010
2.	गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसलाय	21/01-06-1960	4862/15-09-2010
3.	सिद्धार्थ बैकवर्ड गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	51/	4862/15-09-2010
4.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को-ऑप. हाऊसिंग मर्यादित, इन्दौर	54/23-08-1963	4862/15-09-2010

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जी. एस. भाटिया,
अंकेक्षण अधिकारी.

(83)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2011/4425, इन्दौर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जन कल्याण साख सहकारी संस्था मर्यादित, 123 भागीरथपुरा, इन्दौर	1708/09-02-1995	. .

अत: मैं, आनन्द खत्री, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 20 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आनन्द खत्री,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(85)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	छाया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	719/14-12-1997	4862/15-09-2010
2.	पुर्णिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	703/20-10-1997	4862/15-09-2010
3.	श्री संस्कार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	708/11-02-1997	4862/15-09-2010
4.	हरिकृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	706/	4862/15-09-2010
5.	मुरली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	709/14-12-1997	4862/15-09-2010
6.	सांदीपनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	101/	4862/15-09-2010
7.	श्रमिक यातायात साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	483/22-04-1976	4906/16-09-2010
8.	बैरवा निर्माण कार्य साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	325/01-02-1956	4906/16-09-2010
9.	साईनाथ रेडिमेड वस्त्र उद्योग साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	822/31-12-1985	4906/16-09-2010
10.	संगम साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1635/12-12-1982	4906/16-09-2010
11.	फल एवं सब्जी उत्पादन साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	798/14-12-2000	4906/16-09-2010
12.	सौरभ फल एवं सब्जी उत्पादन साख सह. संस्था मर्या., धरावरा	637/18-10-1996	4906/16-09-2010
13.	फल एवं सब्जी उत्पादन साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	814/27-06-2001	4906/16-09-2010
14.	अलंकार निर्माता साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	874/01-04-1959	4906/16-09-2010
15.	कलाई उद्योग साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	298/18-11-1965	4906/16-09-2010
16.	इण्डस्ट्रीस साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	——	4906/16-09-2010
17.	जम्बुड़ी हप्सी फल एवं सब्जी उत्पादन साख सह. संस्था मर्या., जम्बुड़ी हप्सी.	821/31-07-2001	4906/16-09-2010
18.	विन्ध्यावासिनी फल एवं सब्जी उत्पादन साख सह. संस्था मर्या., खुर्दी	638/18-10-1996	4906/16-09-2010

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर कार्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि

बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(86)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रवि जागृति सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	6691/10-01-1990	2571/31-05-2012
2.	गौड़ ब्रहामण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1168/22-10-1948	2571/31-05-2012
3.	महानगर क्रेडिट सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1815/20-01-1997	2571/31-05-2012
4.	कृषि विभाग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	58/26-06-1987	2571/31-05-2012
5.	सुरक्षा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1862/23-10-1997	2571/31-05-2012
6.	महिला जागृति सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	2019/01-01-2001	2571/31-05-2012

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर कार्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

मनोज शेल्के,

(86-A) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक, श्रीदीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रीदीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/985, दिनांक 27 अक्टूबर 2004 है,

को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/3042, दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(87)

कार्यालय परिसमापक, त्रिवेणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

त्रिवेणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./आई.डी.आर./160, दिनांक 16 नवम्बर, 1973 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/4862, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(87-A)

कार्यालय परिसमापक, गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू

इन्दौर, दिनांक 02 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू, तहसील महू, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक .....है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 4862, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सोनी,
परिसमापक.

(87-B)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापन संस्थाओं के नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संस्थाओं को परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	वर्तमान परिसमापक का नाम एवं आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	इन्दौर जिला पशु आहार उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	157/20-10-1973	1372/08-04-2008	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
2.	हरिजन आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., बेटमा खुर्द.	114/29-07-1958	1458/13-04-1999	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
3.	हरिजन सामुहिक कृषि जगजीवन ग्राम सहकारी संस्था मर्या., सिमरोल.	120/18-08-1963	4039/25-07-2007	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
4.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	143/	4377/20-08-1997	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
5.	अपना घर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	134/15-10-1971	2140/26-05-2005	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
6.	हरिजन श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	130/	3037/17-07-2003	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
7.	बैंक ऑफ बड़ौदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	117/05-03-1970	221/11-01-1995	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4906/16-09-10
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर	691/14-10-1982	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेठा	753/29-09-1983	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गोंदा	754/29-09-1983	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुगांव	750/18-08-1983	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया	619/01-12-1981	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपिपल्या	1081/02-08-1991	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माचल	1086/02-08-1991	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जोशीगुराड़िया	696/14-10-1982	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12

1	2	3	4	5
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवली पलासिया	809/09-09-1985	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किठोदा	1077/02-08-1991	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला	1087/12-08-1991	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12
19.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोथला	1167/31-03-1993	620/13-02-1998	राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी, 4425/30-10-12

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

राजेश विक्टर,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

(82)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 17 अगस्त, 2011

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था,, सिन्दोडी.	1807/21-11-1996	1703/18-08-2001	4906/16-09-2010
2.	फल एवं सब्जी उत्पादक सह. संस्था, बिसनावदा.	836/24-01-2002	6205/11-08-2004	4906/16-09-2010
3.	माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, पिगडबर.	823/24-08-2001	4566/04-09-2003	4906/16-09-2010

1	2	3	4	5
4.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गारीपिपल्या.	818/23-07-2010	2484/31-08-2007	4906/16-09-2010
5.	निर्मला को. आ. हाउसिंग सहकारी संस्था, इन्दौर	961/15-04-2004	1808/26-07-2007	. .
6.	इन्दौर वायर कर्मचारी सहकारी संस्था, इन्दौर	396/20-05-1972	5511/31-12-1996	4906/16-09-2010
7.	परस्पर मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था, इन्दौर	1077/10-10-1977	5060/17-07-2006	4906/16-09-2010
8.	भण्डारी कामगार सहकारी साख संस्था, इन्दौर	915/05-01-1950	4317/27-08-1997	4906/16-09-2010
9.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मर्या., आम्बाचन्दन.	383/03-11-1973	799/07-02-2003	4906/16-09-2010
10.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मर्या., जोशी गुराडिया.	384/	3921/28-06-1984	4906/16-09-2010
11.	हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, उपरिया खुर्द.	41/10-10-1962	1455/13-04-1999	4906/16-09-2010
12.	हरिजन भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मण्डला दोस्तदार.	333/30-01-1970	1469/13-04-1999	4906/16-09-2010
13.	सत्यम ईट-भट्टा सहकारी संस्था, सांवेर	1224/12-02-1991	848/12-02-2003	4906/16-09-2010
14.	तन्दुमय औद्योगिक बुनकर सहकारी संस्था, छोटी भमौरी.	106/04-11-1960	-	4906/16-09-2010
15.	केवड़ा उद्योग सहकारी संस्था, देपालपुर	630/31-05-1958	3512/27-04-1976	4906/16-09-2010
16.	दलित वर्ग हड्डी खाद उद्योग सहकारी संस्था, इन्दौर.	-	-	-
17.	रोलिंग मजदूर सहकारी संस्था, मर्या., इन्दौर	105/24-10-1960	845/12-02-2003	797/18-02-2009
18.	क्षिप्रा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था क्षिप्रा.	-	1705/18-04-2001	4906/16-09-2010
19.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था,, नादेंड (महू).	-	6201/11-08-2004	4906/16-09-2010

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव अन्य किसी स्त्रोत से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड/दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्ठित हो गई. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 17 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

सुरेन्द्र जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(88)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./2012/4425, इन्दौर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्गामाता यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, खुड़ेल बुजुर्ग, जिला इन्दौर	559/20-05-92	3089/17-07-2003
2.	माँ दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, सुलाखेड़ी (मांगल्या)जिला इन्दौर	554/20-10-92	8371/13-02-2003
3.	सनी यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिला इन्दौर	555/13-11-92	882/13-02-2003
4.	भारतीय यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिला इन्दौर	550/10-03-92	809/13-02-2003
5.	शुलभ यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिला इन्दौर	542/03-07-91	841/13-02-2003
6.	तन्तुनाम वैश्य औद्योगिक बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, छोटी भमोरी, जिला इन्दौर	106/04-11-60	-
7.	आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिला इन्दौर	102/27-03-53	5526/07-02-1972
8.	बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वाला पलासिया महू, जिला इन्दौर	397/29-03-56	467/26-08-1977

अतः मैं, एन. के. मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तिया या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 06 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(89)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	उपागंज गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	445/06-07-56	4449/23-08-2003
2.	राधा गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	472/17-09-97	1446/01-04-2003
3.	मिलनश्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	455/	4456/28-08-2003
4.	मन्धारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	460/14-10-1987	2821/11-09-2007
5.	सत्य ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	468/16-11-1987	142/07-01-2005
6.	सी. बी. नवीन शिक्षिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मऊ	456/29-06-1987	2137/26-05-2005
7.	प्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	517/28-08-1989	143/07-01-2005

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मयप्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(90)

कार्यालय परिसमापक, कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/475, दिनांक 27 नवम्बर, 1987 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/6752, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एफ. ए. खान,
परिसमापक.

(90-A)

कार्यालय परिसमापक, इंदूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 11 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./पी.के./परि./13/2.—उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इंदौर के आदेश क्रमांक-परिसमापन/13/933, दिनांक 08 मार्च, 2013 से इंदूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर पंजीयन क्रमांक डी.आर./आई.डी.आर./252, दिनांक 22 मई, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) में मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है. सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर कार्यालयीन दिवसों में समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता जिला इंदौर, श्रम शिविर, जेल रोड, इंदौर में मयप्रमाण के लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलंब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें. यदि बाद में ज्ञात हुआ कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनके वसूलने के लिये विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी.

यदि संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

प्रमोद तोमर,
परिसमापक.

(94)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री क्लॉथ मार्केट हम्माल गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	343/01-09-1983	712/15-02-2005

1	2	3	4
2.	आशुतोष गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	371/16-07-1984	714/15-02-2005
3.	अरावली गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	591/20-11-1995	1630/20-02-2009
4.	शान्ता गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	682/18-09-1996	2618/11-09-2007
5.	वृन्दावन गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	23/06-08-1960	2620/11-09-2007
6.	नन्दन विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	754/23-07-1999	2616/11-09-2007

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जी. डी. स्वर्णकार,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(95)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	383/22-10-1984	717/15-02-2002
2.	पांचू की चाल गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	96/18-10-1967	25/03-01-2005
3.	छावनी बोर्ड अल्प आय वर्ग कर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था, महू	392/21-01-1985	252/24-01-2013
4.	चेतना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	405/13-05-1985	252/24-01-2013

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जाफर अली अन्सारी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(96)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 5 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मृगनयनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	740/27-05-1998	3082/24-10-2007	3425/08-08-2012
2.	राईट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	741/30-05-1998	3082/24-10-2007	3425/08-08-2012
3.	प्रियांशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	743/30-05-1998	4453/23-08-2003	3425/08-08-2012
4.	ऋषि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	748/02-07-1998	3082/24-10-2007	3425/08-08-2012
5.	प्रभु श्री आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	752/14-07-1998	2609/11-09-2007	3425/08-08-2012
6.	सांझी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	770/	3032/17-07-2003	3425/08-08-2012

अतः मैं, एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. पी. बहोरे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(84)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	कारागार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	115/26-12-1958	47/04-01-2005
2.	ग्रामोद्योग गृह निर्माण सहकारी संस्था, बडोदिया खान	201/26-08-1944	1082/24-10-2007
3.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, भैसलाय	21/01-06-1960	363/17-01-2003
4.	गांधी हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	43/10-10-1962	4460/23-08-2003
5.	SBI साकेत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	88/12-05-1967	5725/14-12-1994
6.	भारतीय मित्र मण्डल गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	89/16-05-1967	6022/03-08-2004
7.	आक्ट्राय कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महू	91/25-05-1967	5615/08-12-1994
8.	इन्दौर बैराठी कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	99/22-11-1956	110/06-01-2001
9.	पंजाब खालसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	102/26-08-1959	3033/17-07-2003
10.	मालवीका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	111/29-10-1969	3412/26-07-1986

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक .17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(91)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था, महू	136/08-06-1953	853/28-02-2000
2.	गांधी आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	164/17-06-1974	7703/27-11-1999

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक .17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

दीपक जोशी,
परिसमापक.

(91-A)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012-2013/क्यू/1.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	पैकेजिंग एण्ड इन्डस्ट्रीयल, इन्दौर	AR/IDR/950/10-05-70	परि. 925/25-07-2009	4425/30-10-12
2.	रजक लाण्डस इन्डस्ट्रीज, इन्दौर	AR/IDR/393/01-04-72	परि. 838/13-02-2003	4425/30-10-12
3.	जिला नीरा ताड़ गुड़ उत्पादक, इन्दौर	AR/IDR/829/17-01-56	परि. 843/13-02-2003	4425/30-10-12
4.	दलित वर्ग हड्डी खाद उद्योग, इन्दौर	निरंक	परि. 4317/29-08-1997	4425/30-10-12
5.	आदर्श श्रम उद्योग, रावद	निरंक	निरंक	4425/30-10-12
6.	केवड़ा उद्योग, देपालपुर	AR/IDR/630/31-05-98	परि. 3512/27-04-1976	4425/30-10-12
7.	सर्वोदय दाल, चावल, इन्दौर	AR/IDR/125/08-03-61	परि. 5479/13-09-1975	4425/30-10-12
8.	चूना उद्योग, सिमरोल	AR/IDR/197/05-04-63	परि. 5499/03-07-1970	4425/30-10-12

अत: मैं, श्रीमती मोनिका सिंह, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

मोनिका सिंह,

(92) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मध्यप्रदेश डव्हलपमेंट क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी, इन्दौर	AR/IDR/2016/29-12-2000	2571/31-05-2012

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

शीला शर्मा,

(93) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./उपंसि/परि./689, दिनांक 25 जून, 2012 द्वारा अभिषेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी का परिसमापक श्रीमति शिवानी ताराम, स. वि. अधि., सिवनी को नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक के अधिकार जो मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. एस. परते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सिवनी को अभिषेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. कोठारी

(97) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 30 नवम्बर, 2013

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/635.—डाभियाखेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेड़ा को निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था द्वारा उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्य हित में कोई कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन दिनांक 27-06-2012 को ड्यू होने के बावजूद भी निर्वाचन कराने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए डाभियाखेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेड़ा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र के 30 दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(98)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	56/07-04-1977

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ.

उपरोक्त संस्था अकार्यशील है एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	56/07-04-77	श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(99)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हमीरखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(99-A)

कार्यालय शासकीय समनुदेशिती एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1319, उज्जैन, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा मुझे महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद (पं. क्र. 1762, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010) का शासकीय समनुदेशिती नियुक्त किया है.

अत: मैं, आर. एल. परमार, शासकीय समनुदेशिती सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में मुझे प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एल. परमार,
शासकीय समनुदेशिती एवं सहकारी निरीक्षक.

(100)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, हरसोल, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक परि./013/650, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, हरसोल, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 4-1-1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मयप्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की

कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(102)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, माऊखेड़ा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक परि./12/870, दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, माऊखेड़ा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 601, दिनांक 4 अक्टूबर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मयप्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. बामनिया,
परिसमापक.

(102-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, हरनावदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास

दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

हरनावदा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 13-11-2004 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं , जिला देवास के आदेश क्रमांक 1411, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी,
परिसमापक.

(103)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2014-माघ 25, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), कोलारस (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), बण्डा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), सुबासरा-टप्पा, भानपुर, मल्हारगढ़, धुन्धडका, कयामपुर, सीतामऊ, संजीत (मंदसौर), उज्जैन (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, गंधवानी, डही (धार), ब्यावरा, सारंगपुर (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बेगमगंज (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोगरी, चिचोली (बैतूल), सिवनी-मालवा, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बडवारा, बरही (कटनी), नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), जुन्नारदेव, पांढुर्णा, बिछुआ, हर्रई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, घंसोर (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), ओरछा (टीकमगढ़), राजनगर (छतरपुर), देवरी (सागर), जेतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझौली, (सीधी), गरोठ, मंदसौर (मंदसौर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), गैरतगंज, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), बैतूल (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, वनखेड़ी (होशंगाबाद), निवास (मण्डला), परासिया, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), बरघाट, कुरई, धनोरा (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), नरवर (शिवपुरी), बिजावर (छतरपुर), राहतगढ़, शाहगढ़ (सागर), गोपदवनास, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), बड़नगर (उज्जैन), धार, धरमपुरी (धार), खकनार (बुरहानपुर), मुलताई (बैतूल), छिन्दवाड़ा, सोंसर (छिन्दवाड़ा), छपारा (सिवनी), बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), पाली (उमरिया), कुसमी (सीधी), नेपानगर (बुरहानपुर), बरेली (रायसेन), आढ़नेर (बैतूल), बिछिया (मण्डला), जामई (छिन्दवाड़ा), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, झाबुआ, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला मुरैना में फसल सरसों व झाबुआ में चना व श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, मंदसौर, भोपाल में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला धार, बुरहानपुर, हरदा, सिवनी में फसल सोयाबीन व सिंगरौली में मक्का व भोपाल में धान व कटनी में मक्का, उड़द, तिल एवं दमोह, बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) ज्वार, मूँगफली, कपास, गन्ना, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	5.4		धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	90.0		तुअर समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	43.4		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	6.0		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	50.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	27.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. दतिया	. .		ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		मूँग.		
			(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	45.0				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	11.0				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	3.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	28.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	9.0				
5. राजनगर	25.0				
6. बिजावर	50.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	3.6				
4. सागर	7.8				
5. रेहली	3.0				
6. देवरी	26.0				
7. गढ़ाकोटा	15.0				
8. राहतगढ़	39.0				
9. केसली	14.0				
10. शाहगढ़	40.0				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग अधिक. कोदों-कुटकी, तिल, ज्वार, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर,धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	28.4		4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों, सोयाबीन,उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	13.1		(2) . .		
3. कोतमा	10.5				
4. पुष्पराजगढ़	27.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	10.9		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, रामतिल अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	64.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	21.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	38.4		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	21.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	27.0				
4. कुसमी	60.0				
5. चुरहट	40.0				
6. रामपुरनैकिन	37.1				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर अधिक. ज्वार, मूँग, उड़द, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	3.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	6.0		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	2.0				
4. गरोठ	23.2				
5. धुन्धड़का	4.0				
6. मन्दसौर	29.0				
7. कयामपुर	4.0				
8. सीतामऊ	11.4				
9. शामगढ़	. .				
10. संजीत	2.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक. मूँगफली कम. उड़द, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	10.0				
6. बड़नगर	51.6				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, गन्ना, मूँगफली अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) कपास कम. ज्वार, धान, मूँगफली, सोयाबीन, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सोण्डवा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. च.शे.आ. नगर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	15.6		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	37.2				
4. कुक्षी	15.6				
5. मनावर	12.0				
6. धरमपुरी	42.0				
7. गंधवानी	5.0				
8. डही	17.2				
***जिला इन्दौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
*जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	22.4		4. (1) कपास, ज्वार, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	50.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	102.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	0.2				
5. सारंगपुर	7.5				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	8.0		4. (1) अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	0.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	4.0				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	12.0				
6. विदिशा	4.0				
7. गुलाबगंज	6.0				
8. ग्यारसपुर	9.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तुअर, गन्ना, कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	22.4		सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	0.1		सन. बिगड़ी हुई.		
4. गोहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
5. बरेली	54.0				
6. सिलवानी	20.3				
7. बाड़ी	19.0				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	14.2	का कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	15.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	13.5				
5. बैतूल	27.4				
6. मुलताई	46.6				
7. आठनेर	88.7				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	13.4		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	20.3		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	25.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	4.2				
5. सोहागपुर	12.0				
6. पिपरिया	8.4				
7. वनखेड़ी	26.0				
8. पचमढ़ी	10.0				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	8.8		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	5.9				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	3.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मक्का, उड़द, तिल फसल	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	1.1	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	10.0	है.	राहर, कोदों, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बड़वारा	3.0				
7. बरही	8.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	18.5		4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	87.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	13.4				
4. मण्डला	5.4				
5. घुघरी	5.6				
6. नारायणगंज	6.4				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान,मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, जगनी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	38.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	12.2		(2) . .	. .	
3. परासिया	30.2				
4. जामई (तामिया)	76.0				
5. सोंसर	41.0				
6. पांढुर्णा	15.2				
7. अमरवाड़ा	32.4				
8. चौरई	27.0				
9. बिछुआ	12.0				
10.मोहखेड़ा	20.0				
11. हर्रई	9.5				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, सन कम. मूँग, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	6.0				
4. बरघाट	26.4				
5. कुरई	30.0				
6. घंसौर	12.0				
7. घनोरा	24.7				
8. छपारा	38.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	64.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	5.1		(2) . .		
3. बैहर	34.0				
4. वारासिवनी	35.2				
5. कटंगी	15.1				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, पन्ना, शहडोल, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(104)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.